

सर्वश्री बजरंग लाजिस्टिक्स,**291, सुल्तानपुर रोड, सरसवां, लखनऊ ।**

शासन के पत्र संख्या-346/11-2022-300(39)/2013 लखनऊ दिनांक 22.08.2022 से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में GeM Portal पर आमंत्रित की गयी निविदा में आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभाग में वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आप द्वारा दी गयी निविदा की दरें विभाग द्वारा अनुमोदित की गयी हैं। अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि निविदा में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार कुल 100 वाहन राज्य कर के क्षेत्रिय कार्यालयों को बिलम्बतम दिनांक-11.11.-2022 से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्र०सं०	जोन का नाम	क्र०सं०	कार्यालय का नाम	कुल वाहनों की संख्या
01	02	03	04	05
01	गाजियाबाद प्रथम	1	गाजियाबाद खण्ड-12	04
		2	गाजियाबाद खण्ड-5	
		3	गाजियाबाद खण्ड-7	
		4	हापुड़ खण्ड-3	
02	गाजियाबाद द्वितीय	5	गाजियाबाद खण्ड-16	04
		6	गाजियाबाद खण्ड-15	
		7	खुर्जा खण्ड-2	
		8	गाजियाबाद खण्ड-19	
03	नोएडा	9	गौतमबुद्धनगर खण्ड-1	05
		10	गौतमबुद्धनगर खण्ड-3	
		11	नोएडा खण्ड-09	
		12	नोएडा खण्ड-10	
		13	नोएडा खण्ड-14	
04	लखनऊ प्रथम	14	रायबरेली खण्ड-1	05
		15	हरदोई खण्ड-4	
		16	रायबरेली खण्ड-11	
		17	लखनऊ खण्ड-9	
05	लखनऊ द्वितीय	18	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०)जोन प्रथम	05
		19	लखनऊ खण्ड-20	
		20	लखनऊ खण्ड-22	
		21	लखनऊ खण्ड-18	
		22	लखनऊ खण्ड-16	
		23	लखनऊ खण्ड-15	

06	कानपुर प्रथम	24	उन्नाव खण्ड-1	05
		25	कानपुर खण्ड-4	
		26	AC Jhinhak, Kanpur Dehat	
		27	कानपुर खण्ड-6	
		28	कानपुर खण्ड-3	
07	कानपुर द्वितीय	29	कानपुर खण्ड-26	05
		30	कानपुर खण्ड-27	
		31	कानपुर खण्ड-17	
		32	कानपुर खण्ड-23	
		33	कानपुर खण्ड-22	
08	वाराणसी प्रथम	34	गाजीपुर खण्ड-3	04
		35	वाराणसी खण्ड-6	
		36	आहरण वितरण अधिकारी चन्दौली	
		37	सचल दल द्वितीय इकाई नौबतपुर, चन्दौली	
09	वाराणसी द्वितीय	38	आजमगढ़ खण्ड-2	05
		39	बलियाँ खण्ड-3	
		40	भदोही खण्ड-3	
		41	मऊ खण्ड-1	
		42	उपायुक्त (टैक्स आडिट) जोन द्वितीय वाराणसी	
10	आगरा	43	उपायुक्त (वि0अनु0शा0) रेन्ज-बी	04
		44	आगरा खण्ड-10	
		45	आगरा खण्ड-20	
		46	आगरा खण्ड-15	
11	प्रयागराज	47	संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) सम्भाग-ए	05
		48	प्रतापगढ़ खण्ड-2	
		49	कौशाम्बी	
		50	प्रयागराज खण्ड-10	
		51	प्रयागराज खण्ड-13	
12	इटावा	52	कन्नौज खण्ड-1	05
		53	फतेहगढ़ खण्ड-1	
		54	औरैया खण्ड-1	
		55	मैनपुरी खण्ड-1	
		56	फिरोजाबाद खण्ड-5	
13	सहारनपुर	57	सहारनपुर खण्ड-11	05
		58	सहारनपुर खण्ड-5	
		59	सहारनपुर खण्ड-12	
		60	सहारनपुर खण्ड-9	
		61	मुजफ्फरनगर खण्ड-5	

14	बरेली	62	बरेली खण्ड-5	05
		63	उपायुक्त (वि0अनु0शा0) रेन्ज-ए	
		64	उपायुक्त (वि0अनु0शा0) रेन्ज-बी	
		65	शाहजहाँपुर खण्ड-4	
		66	बरेली खण्ड-9	
15	मेरठ	67	मेरठ खण्ड-6	05
		68	मेरठ खण्ड-11	
		69	सरधना	
		70	मेरठ खण्ड-5	
		71	मेरठ खण्ड-13	
16	मुरादाबाद	72	मुरादाबाद खण्ड-1	05
		73	मुरादाबाद खण्ड-5	
		74	चन्दौसी खण्ड-3	
		75	मुरादाबाद खण्ड-7	
		76	सम्भल खण्ड-1	
17	अयोध्या	77	गोण्डा-4	05
		78	बस्ती खण्ड-1	
		79	अम्बेडकर नगर खण्ड-1	
		80	अयोध्या खण्ड-5	
		81	सुल्तानपुर खण्ड-1	
18	गोरखपुर	82	महराजगंज खण्ड-2	05
		83	गोरखपुर खण्ड-4	
		84	देवरिया खण्ड- 1	
		85	कुशीनगर खण्ड- 2	
		86	गोरखपुर खण्ड-12	
19	झाँसी	87	बाँदा खण्ड-1	05
		88	जालौन (उरई) खण्ड-3	
		89	झाँसी खण्ड-4	
		90	झाँसी खण्ड-8	
		91	संयुक्त आयुक्त (टैक आडिट)	
20	अलीगढ	92	अलीगढ खण्ड-1	04
		93	मथुरा खण्ड-6	
		94	मथुरा खण्ड-5	
		95	हाथरस खण्ड-2	
21	मुख्यालय	96	आयुक्त कैम्प कार्यालय	05
		97	नजारत अनुभाग	
		98	अपर आयुक्त ग्रेड-1(एस0टी0एफ0)	
		99	अपर आयुक्त ग्रेड-1(एस0टी0एफ0)	
		100	सचल दल चतुर्थ इकाई लखनऊ	

(पी0एन0यादव)

संयुक्त आयुक्त (स्था0 अराज0) राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक-उक्त ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर उत्तर प्रदेश को शासन से प्राप्त स्वीकृति एवं कमिश्नर, वाणिज्य कर उ० प्र० के अनुमोदन के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सर्वश्री बजरंग लाजिस्टिक्स, 291, सुल्तानपुर रोड, सरसवां, लखनऊ के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर 100 वाहन (SUV) उपरोक्त तालिका में अंकित आपके जोन से संबंधित खण्ड/कार्पोरेट/प्रवर्तन कार्यालय को इस आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है कि उस कार्यालय हेतु प्रत्येक माह के लिये निर्धारित लक्ष्य से 02 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
2. संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
3. सम्बन्धित अधिकारियों को निविदा शर्तों की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आउटसोर्सिंग वाहनों की सूचना विभागीय माड्युल (Outsourced Vehicle Module) में राजकीय अवकाश की गणना करते हुये प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संयुक्त आयुक्त (स्था० अराज०) राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।